भारतीय चिकित्सा परिषद और अन्य

बनाम

राजस्थान राज्य और अन्य.

15 जनवरी, 1996

[न्यायमूर्तिगण के. रामास्वामी और जी.बी. पटनायक]

भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 :

धारा 2(डी), 2(एफ), 15(आई), 26-मेडिकल प्रैक्टिशनर- राज्य बोर्ड द्वारा अनुरक्षित राज्य चिकित्सा पंजिका - नाम दर्ज करना - पूर्व शर्त - मूल योग्यता एम.बी.बी.एस.-एम.एससी. (जैव-रसायन विज्ञान) मेडिकल प्रैक्टिशनर के रूप में अभ्यास करने के लिए बुनियादी योग्यता नहीं माना जा सकता।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 2551/1996

राजस्थान उच्च न्यायालय के डी.बी.सी.एस.ए. सं० 179/1995 में पारित आदेश दिनांकित 15.02.1995

विकास सिंह व एल०आर० सिंह अपीलकर्ताओं की ओर से

एच.जी.आर. खट्टर और के.एस. भाटी उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश दिया गया:

छूट दी गयी।

हमने अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना - भारतीय चिकित्सा परिषद के साथ-साथ प्रथम उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता को सुना। द्वितीय उत्तरदाता के द्वारा नोटिस तामिला से बचा जा रहा है और इसलिए, हमने एक आदेश दिनांक 08 जनवरी, 1996 को पारित किया गया कि नोटिस तामील शुदा समझा जायेगी। एकमात्र प्रश्न यह है कि : क्या दूसरा उत्तरदाता पंजीकृत चिकित्सक के रूप में अभ्यास करने का हकदार है? बेशक, दूसरे उत्तरदाता ने एमएससी(मेडिकल बायो-कैमिस्ट्री) किया है। वह प्रदर्शक के रूप में नियुक्त हुआ और इसके पश्चात् जैव-रसायन विभाग में प्रोफेसर बना। उसके द्वारा दिनांक 31.07.73 को अपना नाम राज्य चिकित्सा रजिस्टर में पंजीकृत करने की मांग की गयी। जब उपरोक्त के आधार पर उसे चिकित्सीय प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं दी गई, उसके द्वारा उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गयी। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा सिविल डब्लू०पी०सं० 1169/81 में आदेश दिनांकित 3 फरवरी, 1992 द्वारा रिट याचिका स्वीकार की गयी और अपीलकर्ता को मेडिकल प्रैक्टिशनर के रूप में नामांकन करने का निर्देश दिया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध दायर अपील उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा विशेष अपील संख्या 179/1995 में पारित आदेश दिनांकित 15 फरवरी, 1995 से खारिज कर दी गयी। अतः विशेष अपील दायर की गयी।

धारा 2(एफ) भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 (संक्षेप में, अधिनियम) परिभाषित करता है "चिकित्सा" का अर्थ इसकी सभी शाखाओं में आधुनिक वैज्ञानिक चिकित्सा है और इसमें सर्जरी और प्रसूति शामिल है, लेकिन पशु चिकित्सा शामिल नहीं है। धारा 2(एच) परिभाषित करता है कि "मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यता" का वही अर्थ अनूसूची में सम्मिलित किसी भी चिकित्सीय योग्यता से है एवं धारा 2(डी) परिभाषित करता है "भारतीय मेडिकल रजिस्टर" का अर्थ ऐसे चिकित्सीय पंजिका से है जिसे परिषद द्वारा अनुरक्षित किया गया हो। यद्यपि एम.एससी. (बायो-केमिस्ट्री) अनूसूची में सम्मिलित, लेकिन जब तक कि दूसरे उत्तरदाता ने खुद को चिकित्सा के योग्य न बना लिया हो, तब तक वह स्वंय मेडिकल प्रैक्टिशनर के रूप में पंजीकृत होने के लिए पात्र नहीं है। धारा 15(1) अधिनियम के अनुसार इस अधिनियम में निहित अन्य प्रावधानों के अधीन, किसी भी राज्य मेडिकल रजिस्टर पर नामांकन के लिए अनुसूची में शामिल चिकित्सा योग्यता पर्याप्त योग्यता होगी। धारा 26 अभिधारणा करती है कि:

> "26. अतिरिक्त योग्यता का पंजीकरण। (i) यदि कोई व्यक्ति जिसका भारतीय चिकित्सा रजिस्टर में नाम दर्ज हो, स्वच्छता विज्ञान, जन स्वास्थ्य अथवा मेडिसिन जो कि एक मान्यता प्राप्त चिकित्सीय योग्यता है, में दक्षता प्राप्त करने के लिए, कोई डिप्लोमा की उपाधि या अन्य योग्यता प्राप्त कर लेता है, इस संदर्भ में

उल्लिखित रूप से एक प्रार्थना पत्र के द्वारा भारतीय चिकित्सा रजिस्टर में इस प्रकार की उपाधि, डिप्लोमा अथवा अन्य योग्यता जोड़े जाने अथवा घटाये जाने के लिए पात्र होगा।

(2) भारतीय चिकित्सा रजिस्टर में किये गये परिवर्तनो के आधार पर राज्य चिकित्सा पंजिका में भी इसी के अनुरूप उस व्यक्ति की प्रविष्टियां की जायेंगी।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि राज्य बोर्ड द्वारा अनुरक्षित राज्य चिकित्सा पंजिका में पंजीकरण के लिए किसी भी अभ्यर्थी के लिए एम०बी०बी०एस० की मौलिक योग्यता प्राथमिक योग्यता होगी। द्वितीय उत्तरदाता मूल योग्यता धारित नहीं करता है, उसके द्वारा धारित योग्यता एम.एससी. (बायो-केमिस्ट्री) मेडिकल प्रैक्टिशनर के रूप में अभ्यास करने के लिए बुनियादी योग्यता नहीं माना जा सकता। इस प्रकार उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता को मेडिकल प्रैक्टिशनर के रूप में अभ्यास करने हेतु अनुमति देकर स्पष्ट त्रुटि की है।

तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है। कोई हर्जा देय नहीं होगा।

अपील स्वीकार की जाती है।

आशीष सिंह